प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.01.2026

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी किये हुए 1,05,300/- रुपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.01.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी देव गोयल पुत्र संजय गोयल की लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 24.01.2026 को मेरी दुकान जो कि पाईप मार्केट में है से 03 लाख 80 हजार रुपये चोरी कर लिये गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर धारा 306 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 25/26.01.2026 की रात्रि में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आराधना कट रोड़ अम्बेडकर पार्क के सामने से चोरी करने वाला 01 अभियुक्त किशन पुत्र बाबूलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 1,05,300/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार 01 अभियुक्त व अभिरक्षा में लिये गये 01 बाल अपचारी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 306 बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त किशन उपरोक्त व बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों ने प्रियांशु के साथ मिलकर पाईप मार्केट में स्थित देव गोयल की दुकान के गल्ले से लगभग 3.50 लाख रुपये चोरी किये थे जो कि सभी ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिये थे तथा जो रुपये अभियुक्तों से बरामद हुए हैं बाकी रुपये अभियुक्तों ने मौज-मस्ती में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
किशन पुत्र बाबूलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-
चोरी किये हुए 1,05,300/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त किशन उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व लिंकरोड़ में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ फर्जी कागजात तैयार कर झूठे मुकदमे में फसाने का डर दिखाकर वादी से धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.01.2026 को थाना टीलामोड पर वादी सागर पुत्र बालूराम ने लिखित तहरीर दी और बताया कि 02 व्यक्ति 1. मोहित उर्फ भोला पुत्र बीर सिंह व 2. आरक्षी दिगम्बर थाना टीलामोड द्वारा वादी के साथ फर्जी कागजात तैयार कर झूटे मुकद्दमे में फसाने का डर दिखाकर वादी से धोखाधड़ी कर कुल 5,56,750/- रुपये ठग लिये गये है । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा धारा 420 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 26.01.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वादी के साथ फर्जी कागजात तैयार कर झूटे मुकद्दमे में फसाने का डर दिखाकर वादी से धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त 1. मोहित उर्फ भोलू पुत्र श्री वीर सिह निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष व 2. दिगम्बर सिंह पुत्र राजे सिंह निवासी ग्राम फ़रीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 35 वर्ष को भौपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 420 भादवि में धारा 388 भादवि की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र राजे सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं थाना टीलामोड पर आरक्षी के पद पर तैनात हूँ। मेरी मोहित उर्फ भोलू निवासी जावली से जान पहचान थी। मोहित व सागर का आपस पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद था। मोहित ने मुझसे कहा कि सागर पर मेरे कुछ पैसे है जो दे नही रहा है, इसलिए उसे इनकम टैक्स का नोटिस आया है बताकर फोन करके डरा दो जिससे वह मेरे पैसे दे दे इसलिए मैने सागर को फोन करके थाना बुलबाया था और नोटिस आने की बात कही थी ।

इसीक्रम में अभियुक्त मोहित उर्फ भोलू पुत्र श्री वीर सिह ने बताया कि मेरी सागर से काफी दिन से जान-पहचान थी। मई 2024 में मैने उसे मोटरसाइकिल दिलाने हेतु कहा और बताया था कि मैं बालाजी इंटरप्राइजेस में एजेंट का काम करता हूँ। मेरी कृष्ण ग्रुप इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है। यह विश्वास दिलाकर मैने मोटरसाइकिल के नाम पर सागर से एडवांस में रुपये लिये थे फिर मैने सागर से रुपये ऐंठने के लिए अपने फोन में बैंक की फर्जी मेल आईडी बनाई और गूगल से बैंक व इनकम टैक्स विभाग के लेटर अपलोड करके उनमें सागर का नाम लिखकर सागर को ई-मेल करने लगा और उससे पैसों की मांग करता रहा, जिससे सागर डरकर मुझे समय-समय पर यूपीआई व नगद पैसे देता रहा इस प्रकार मैने सागर से फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर करीब 5.50 लाख रुपये ऐंठ लिए जो मैने खर्च कर दिये जब सागर मुझसे अपने पैसे वापस मांगने लगा और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की बोलने लगा तो मैने थाना टीलामोड पर तैनात आरक्षी दिगम्बर से सागर को फोन कराया कि तुम्हारा इनकम टैक्स का नोटिस आया है थाने आ जाओ तब सागर थाने आया था और आरक्षी दिगम्बर से मिला था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मोहित उर्फ भोलू पुत्र श्री वीर सिह निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष ।
2. दिगम्बर सिंह(आरक्षी थाना टीलामोड) पुत्र राजे सिंह निवासी ग्राम फ़रीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 35 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना टीलामोड पर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा बैटरी/वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 बैटरी व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.01.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बैटरी/वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. रोहन शर्मा उर्फ मोनू पुत्र नरेन्द्र निवासी म0नं0 29 गली नं0 02 न्यू गोविन्दपुरा जगतपुरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष व 2. सोनू उर्फ मुन्ना उर्फ चेतन पुत्र श्याम सुन्दर निवासी हाल पता सी 3 इन्द्रा पार्क सोम बाजार निकट शाह नमकीन कृष्णा नगर दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष को सैन्ट फ्रांसिस स्कूल तिराहा से चोरी की 07 बैटरी व चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों ने अपाचे मोटरसाइकिल थाना बिसरख नोएडा क्षेत्र से चोरी की थी पकड़े जाने के डर की वजह से हमने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हटाकर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे तथा बरामद 07 बैटरी हम दोनों लोगों ने रात में आसपास के मौहल्लों में घरों के बाहर खडी गाडी से चोरी की है और इन्हें हम ले जाकर दिल्ली में राह चलते लोगों को बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. रोहन शर्मा उर्फ मोनू पुत्र नरेन्द्र निवासी म0नं0 29 गली नं0 02 न्यू गोविन्दपुरा जगतपुरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष
2. सोनू उर्फ मुन्ना उर्फ चेतन पुत्र श्याम सुन्दर निवासी हाल पता सी 3 इन्द्रा पार्क सोम बाजार निकट शाह नमकीन कृष्णा नगर दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 07 बैटरी व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त रोहन शर्मा उर्फ मोनू के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लूट, चोरी, चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में डेढ दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ मुन्ना उर्फ चेतन के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लूट/झपटमारी, चोरी, चोरी का माल बरामद होने व हत्या का प्रयास के सम्बन्ध में 12 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.12.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त प्रतीक पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम बसनी विसेनपुर थाना बडा गाँव जनपद वाराणसी द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना तथा शादी करने की कहने पर वादिया के साथ गाली गलौज करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 69/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 26.01.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रतीक पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम बसनी विसेनपुर थाना बडा गाँव जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से करीब 06 वर्ष पहले सोशल मीडिया पर एक एप के माध्यम से मुलाकात हुई थी। मैंने वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये थे तथा उसके द्वारा शादी करने की कहने पर मैंने उसके साथ गाली गलौज भी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

प्रतीक पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम बसनी विसेनपुर थाना बडा गाँव जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।